भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3433
दिनांक 12 मार्च, 2026

पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमत

†3433. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार द्वारा अल्पावधि में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ख) क्या सरकार द्वारा कीमतों में अचानक वृद्धि को रोकने के लिए करों में परिवर्तन, राजसहायता अथवा ईंधन भंडार जैसे उपाय करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) एवं (ख): देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित हैं एवं सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसीज़) पेट्रोल और डीजल के मूल्यों पर उचित निर्णय लेती हैं।

सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू कर संरचना को समायोजित करने के लिए आवश्यकतानुसार वित्तीय हस्तक्षेप करती है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 और मई 2022 में दो चरणों में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः 13 रुपए प्रति लीटर और 16 रुपए प्रति लीटर की कमी की, जिसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया। मार्च 2024 में, ओएमसीज़ ने पेट्रोल और डीजल प्रत्येक के खुदरा मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की। लेकिन अप्रैल 2025 में, जब पेट्रोल और डीजल प्रत्येक पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई तो इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया।

दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर का खुदरा बिक्री मूल्य वर्तमान में 913 रुपए है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की लक्षित राजसहायता देने के बाद, भारत सरकार सभी पात्र पीएमयूवाई लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर (दिल्ली में) 613 रुपए प्रति सिलेंडर के प्रभावी मूल्य पर उपलब्ध करा रही है।

सरकार ने वि.व. 2022-23 में ओएमसीज़ को 22,000 करोड़ रुपए का एकमुश्त क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रदान किया एवं वि.व. 2025-26 में 30,000 करोड़ रुपए की दूसरी क्षतिपूर्ति देने की स्वीकृति दी है।

घरेलू एलपीजी की उपलब्धता संवर्धित करने के लिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3, सपठित पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण एवं आपूर्ति) आदेश, 1999 के खण्ड 3 एवं 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मंत्रालय ने एलपीजी उत्पादन के लिए सभी घरेलू/एसईजेड रिफाइनरियों और पेट्रोरसायन परिसरों से चैनल सी3 और सी4 क्षेत्रों तथा उक्त की आपूर्ति अनन्य रूप से पीएसयू ओएमसीज़ को करने के निर्देश दिए हैं।

भारत सरकार ने इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक एक विशेष प्रयोजनार्थ कम्पनी के माध्यम से कच्चे तेल की 5.33 मीलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की कुल क्षमता वाली कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) सुविधाएं स्थापित की हैं।

*****